International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 16 Issue 04, April 2026,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

समकालीन भारत में लिंग की राजनीति

पूजा कुमारी
शोधार्थी
राजनीति विज्ञान विभाग
मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर, बिहार।

शोधसार

समकालीन भारत में लिंग की राजनीति एक जटिल परिघटना है, जो परंपरा, आधुनिक और वैश्वीकरण कि अंतसंबंधो से निर्मित होती है भारतीय संविधान ने समानता, गरिमा और अवसरों की जिम्मेदारी देकर महिलाओं तथा अन्य लैंगिक समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में आधारशिला रखी है। आरक्षण, शिक्षा और रोजगार में बढ़ते अवसरों के बावजूद पितृसत्तात्मक ढाचें सामाजिक पूर्वाग्रह और हिंसा जैसी चुनौतियाँ आज भी मौजूद है। हाल के वर्षों में रु डम ज्वव आंदोलन, स्ळठज्फ. अधिकारों की वैधानिक मान्यता तथा महिलाओं की बढ़ती राजनैतिक भागीदारी ने लिंग विमर्श को नये आयाम दिये हैं । लोकतांत्रिक संस्थाएँ और नागरिक समाज संगठन इस विमर्श को आगे बढ़ाने में सक्रिय है, किन्तु सामाजिक आर्थिक असमानताएँ और क्षेत्रिय विविधताएँ इसे जटिल बनाती है।
महात्मा गाँधी का यह कथन स्त्री–पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. दोनों एक–दूसरे के पूरक है। समकालीन भारत की लिंग राजनीति के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत का कार्य करता है बिहार सरकार ने इस संदर्भ में उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत कि या है। सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण देने की पहल की है। इन नीतियों से ग्रामीण एवं वंचित तबके की महिलाओं को शिक्षा रोजगार और निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ायी है।
अतः लिंग की राजनीति केवल अधिकारों की बहस नहीं बल्कि समानता और न्याय की सामाजिक यात्रा है जब परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन – साधा जाता है तभी लोकतंत्र अपने सच्चे अर्थों में समावेशी बन पाता है।

भुमिका

भारत की समाजीक–राजनितिक परिवेश में लैंगिक असमानता मानव समाज की एक अंतर्निहित विशेषता बन गई है। हर जगह, समाज जाति, पंथ, नस्ल, क्षेत्र, धर्म, भाषा, लिंग आदि जैसे सामाजिक लेबलिंग के आधार पर विविधतापूर्ण हैं। साथ ही, ये लेबल समाज में भेदभाव का आधार भी बनते हैं। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के बावजूद, महिलाएँ पुरुषों की तुलना में पिछड़ रही हैं। उन्हें स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, संपत्ति, शिक्षा, समान वेतन, राजनीतिक भागीदारी आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच से वंचित रखा जा रहा है। इसके अलावा, समकालीन समाज में महिलाओं के खिलाफ अपराध और हिंसा बहुत बढ़ गई है। यह शोधपत्र भारतीय समाज में महिलाओं से जुड़े समानता, न्याय और स्वतंत्रता के मुद्दों को संबोधित करने में उच्च न्यायपालिका की भूमिका को उजागर करने का प्रयास करता है।
सामाजिक और लैंगिक समानता पर आधारित लैंगिक मुद्दे अंतर्विषयक और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के हैं। भारत, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में शामिल है, जहाँ राजनीति में महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी एक सकारात्मक प्रयास है। सितंबर 2015 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक उच्च–स्तरीय बैठक में, भारत सहित 193 देशों ने एजेंडा 2030 के अंतर्गत 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए और इन लक्ष्यों में लैंगिक समानता को शामिल किया गया, जिससे पता चलता है कि लैंगिक भेदभाव केवल भारत में ही नहीं है। यह दुनिया के अन्य देशों में भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

लैंगिक समानता समाज के विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि महिलाएँ और पुरुष एक सुंदर समाज की नींव हैं। भारतीय संविधान (अनुच्छेद 15) में समानता का अधिकार है, लेकिन एक ऐसा समाज भी है जो न तो पुरुष है और न ही महिला, जिसे तीसरी श्रेणी कहा जाता है, यानी ट्रांसजेंडर। भारत में, तथाकथित समाजों द्वारा ट्रांसजेंडर को विभिन्न माध्यमों से समझा जाता है। ऐसे में, इस समाज के व्यक्तियों के लिए यह मुश्किल हो जाता है। इस लैंगिक भेदभाव को कम करने के लिए, 15 अप्रैल 2014 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया गया, जिसमें ट्रांसजेंडर को ष्तीसरे लिंगष की श्रेणी में रखा गया, जिससे उन्हें भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार समान रूप से प्राप्त हुए। इस अध्याय में, भारतीय राजनीति में लैंगिक मुद्दों पर चर्चा की गई है। भारत में, राजनीतिक व्यवस्था के तहत महिलाओं को सामाजिक स्तर पर अपने निर्णय लेने का अधिकार मिल रहा है। अंतर–संसदीय संघ (आईपीयू) की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर कुल संसदीय सीटों पर महिलाओं की संख्या केवल 24.5 प्रतिशत है, जो महिला जनसंख्या के हिसाब से बहुत कम है। दूसरी ओर, भारत में कुल संसदीय (दोनों सदनों) सीटों में महिलाओं की संख्या केवल 12.39 प्रतिशत है, और यह संख्या और भी कम है, जो लैंगिक भेदभाव को उजागर करती है (2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की कुल जनसंख्या 1210.19 मिलियन है, जिसमें से 586.48 मिलियन (लगभग 48.5:) महिलाएं हैं)।

संसद में लैंगिक असमानता– वैश्विक परिप्रेक्ष्य

समाज की आधारशिला मानी जाने वाली महिलाएँ, आधुनिक युग में दुनिया भर के अधिकांश देशों की राजनीति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं (कुमार, डी. 2017)। इतिहास पर नजर डालने पर आप पाते हैं कि महिलाएँ समाज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यह ज्ञात है कि समाज में महिलाओं की भूमिका और उनका स्वरूप दार्शनिक, धार्मिक और राजनीतिक विचारों से जुड़ा है। सांप्रदायिक संरचना और महिला राजनीति को स्थिति पर चर्चा में इसलिए स्थान दिया गया ताकि वे स्वयं राजनीति में आ सकें।

तालिका 1: 2017 में संसद में महिलाएँ – विश्व औसत

एकल सदन या निचला सदन		उच्च सदन या सीनेट	
कुल सांसद	39,013	कुल सांसद	7,205
पुरुष	29,423	पुरुष	5,455
महिला	9,590	महिला	1,750
महिला का प्रतिशत	24.6%	महिला का प्रतिशत	24.3%
Source- http://archive.ipu.org/wmn-e/world.htm (Jan 2020			

राजनीति में लैंगिक असमानता: दक्षिण एशियाई परिप्रेक्ष्य

सभी देशों में खेल, राजनीति, कॉर्पोरेट आदि हर क्षेत्र में लैंगिक असमानता एक प्रमुख मुद्दा रहा है। महिलाओं को हमेशा पुरुषों की तुलना में कम महत्व दिया गया है। आधुनिक भारत में, महिलाओं ने राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, विपक्ष के अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री आदि जैसे पदों पर कार्य किया है और राजनीति में निर्णय लेने में खुद को सक्रिय रूप से शामिल किया है। कुमार, डी. पी. (2017) ने देखा कि अभी भी कई देश हैं जिनमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व नगण्य है, जैसे अरब देश, यमन, कुवैत आदि। भारत महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में सबसे छोटे देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से बहुत पीछे है क्योंकि पुरुषों की तुलना में यहाँ महिलाओं को कम आंका जाता है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 16 Issue 04, April 2026,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

Table 1: Status of Women in South Asia in 2020

Rank	South Asia country	Total seats (Both Houses)	Seats held by women	% of women	% of male
103	India	543	78	12.39	87.61
106	Pakistan	342	69	19.70	80.3
98	Bangladesh	349	73	20.92	79.08
182	Srilanka	225	12	12	88
43	Nnnepal	275	90	35.01	64.99
138	Bhutan	47	07	15.43	84.57
184	Maldiv	87	04	4.6	95.04

Source-http://archive.ipu.org/wmn-e/world.htm (Jan, 2020)

अंतर–संसदीय संघ (आईपीयू, 2020) की एक रिपोर्ट के अनुसार, संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत विश्व स्तर पर 143वें स्थान पर है। भारत दक्षिण एशिया का एक बड़ा देश है। आइए अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों पर नजर डालें, संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत (12.39 प्रतिशत) पाकिस्तान (19.70 प्रतिशत) से काफी पीछे है।

भारतीय राजनीति में दोनों लिंगों की भागीदारी

भारतीय राजनीति में लैंगिक असमानता देखने को मिलती है। कुछ तथाकथित पार्टियाँ राजनीति में केवल पुरुषों को ही आमंत्रित करती हैं और कुछ पारिवारिक कारणों से महिलाओं को राजनीति में आने का मौका नहीं मिल पाता। भारतीय राजनीति के पहले लोकसभा चुनाव में लैंगिक भेदभाव के कारण महिलाओं को केवल 4.5 प्रतिशत सीटों पर ही संतुष्ट रहना पड़ा, जबकि पुरुषों का 96.5 प्रतिशत सीटों पर दबदबा रहा। भारतीय राजनीतिक इतिहास में अब तक की सबसे अधिक असमानता 1977 के लोकसभा चुनावों में देखी गई थी, जब कुल सीटों पर दोनों लिंगों के बीच लैंगिक असमानता क्रमशः 3. 49 और 96.51 प्रतिशत थी। 1914 के 16वें लोकसभा चुनावों में महिलाओं की हिस्सेदारी 11.8 प्रतिशत थी, जो दर्शाता है कि भारतीय राजनीति में लैंगिक अंतर को धीरे–धीरे कम करने का सकारात्मक प्रयास हो रहा है। एक ऐसे देश में जहाँ लिंगानुपात कम है, वहाँ कई सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। भारत की राजनीति में महिलाएँ लैंगिक भेदभाव से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यह सफर लंबा और संघर्ष भरा है।

भारतीय राजनीति में दोनों लिंगों के अलावा ट्रांसजेंडरों में भी राजनीति में आने की उत्सुकता देखी गई है। 2019 के लोकसभा चुनावों में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात क्रमशः 14.36 और 85.64 रहा है, जिससे पता चलता है कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के बाद भी आज हमारे समाज में लैंगिक भेदभाव कम नहीं हो रहा है।

भारतीय राजनीति में लैंगिक भेदभाव के कारण

भारतीय संस्कृति में महिलाओं को आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है लेकिन फिर भी शारीरिक कारणों से महिला और पुरुष के बीच अंतर होता है जो स्वाभाविक है और इसे प्राकृतिक लिंग भेद भी कहा जा सकता है, लेकिन समाज द्वारा महिलाओं और पुरुषों के बीच लिंग भेद की खाई बहुत गहरी है और समाज को कमजोर कर रही है। किसी समाज की संरचना को जीतने के लिए पुरुषों का भी उतना ही महत्व है, जितना महिलाओं का। लेकिन समाज के कुछ तथाकथित लोगों के कारण ही पुरुष समाज में अधिक हावी हैं और महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक मानते हैं।

लिंग भेद समाज को पीछे धकेलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है ताकि इसे अलग–अलग तरीकों से बनाए रखा जा सके।

कुछ अन्य कारण भी हैं जो राजनीति में लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देते हैं जैसे–

1 धार्मिक कारण

भारत अनेक धर्मों से सुसज्जित देश है। हर धर्म की अपनी अलग मान्यताएँ हैं। लैंगिक भेदभाव का मुख्य कारण धार्मिक कारण है। समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण महिलाओं और पुरुषों के बीच लैंगिक भेदभाव की खाई पैदा हो गई है। महिलाओं को कम आंका जाता है। पुरुषों का मानना है कि महिलाओं को घर की चारदीवारी के भीतर रहना चाहिए, जबकि धार्मिक कारणों से महिलाओं को लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है और वे राजनीति में प्रवेश नहीं कर पाती हैं।

2 सामाजिक कारण

प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तू का कहना है कि जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जो समाज के नियमों के अनुसार नहीं रहता, वह या तो देवता है या पशु। समाज द्वारा महिलाओं पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया जाता रहा है जैसे– प्रथा, बाल विवाह, विधवा जीवन, दासी सेवा, वंश परंपरा, पराया धन और अशिक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो महिलाओं को राजनीति में भाग लेने से रोकते हैं और लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देते हैं।

3 व्यावसायिक कारण

इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि समाज में व्याप्त लैंगिक भेद के कारण प्राचीन काल से ही महिलाओं और पुरुषों के कार्य अलग–अलग रहे हैं। महिलाओं को आर्थिक मदद के लिए परिवार के किसी पुरुष पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसके कारण वे हर तरह के, बड़े और छोटे, फैसले लेने में असंतुष्ट रहती हैं। परिवार की महिलाओं को लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण आज भी महिलाओं को राजनीति में प्रवेश की अनुमति नहीं है, जबकि पुरुष स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हैं, जिसके कारण भारतीय राजनीति में पुरुष अधिक और महिलाएं कम हैं।

4. राजनीतिक कारण

भारतीय संविधान ने न्यायालय में कमजोर समझी जाने वाली महिला को संवैधानिक रूप से कई अधिकार दिए हैं। जिसके अनुसार महिलाओं के साथ जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और उन्हें समान माना जाएगा। लेकिन भारतीय राजनीति के कुछ दल महिलाओं को राजनीति में आने का निमंत्रण नहीं देते क्योंकि पुरुष प्रधान समाज और राजनीति महिलाओं को लैंगिक भेदभाव की दृष्टि से देखते हैं और दूसरी ओर पुरुषों का मानना है कि यदि महिलाएं राजनीति में आती हैं तो उन्हें पद त्याग देना चाहिए, इसलिए भारतीय राजनीति के पुरुष प्रधान होने के कारण राजनीति में लैंगिक पूर्वाग्रह व्याप्त है।

5 अन्य कारण

अक्सर देखा जाता है कि लैंगिक भेदभाव के कारण महिलाओं को नीची नजर से देखा जाता है, लिंग परीक्षण के बाद कन्या भ्रूण हत्या कर दी जाती है, परिवार में उनके साथ मारपीट की जाती है, उन्हें मिलने वाले पैसों को समझकर उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता है। मानसिक रूप से वे कमजोर होती हैं और जोखिम भरे काम करने से डरती हैं, जबकि पुरुष जोखिम उठाने से नहीं डरते। भारतीय राजनीति में लैंगिक भेदभाव का एक कारण यह भी हो सकता है।

विश्लेषण

(पलानीथुराई, 2005) अध्ययनों से पता चला है कि महिला राजनीतिक प्रतिनिधि स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, सामुदायिक विकास और परिवार कल्याण जैसे सामाजिक मुद्दों को लेकर अधिक चिंतित हैं। किसी भी राष्ट्र की सतत प्रगति के लिए लैंगिक समानता एक आवश्यक तत्व है। विभिन्न क्षेत्रों में दोनों लिंगों की समान भागीदारी सुनिश्चित करके ही राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। भारत में, महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है और दूसरी ओर, उनके साथ भेदभाव

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 16 Issue 04, April 2026,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

किया जाता है। देखा जाए तो भारतीय समाज में लैंगिक असमानता का मूल कारण पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। प्रख्यात समाजशास्त्री सिल्विया वाल्बी ने भारतीय समाज में प्रचलित पितृसत्तात्मक व्यवस्था का अध्ययन करते हुए बताया कि षपितृसत्तात्मकता सामाजिक संरचना की वह प्रक्रिया और व्यवस्था है जिसमें पुरुष स्त्री पर हावी होता है, उसका दमन करता है और उसका शोषण करता है। लैंगिक भेद के कारण महिलाओं का शोषण भारतीय समाज की सदियों पुरानी सांस्कृतिक घटना है।

निष्कर्ष

समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था को हमारी धार्मिक मान्यताओं से वैधता और स्वीकृति मिली है, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई अन्य धर्म। भारत में लिंग आधारित भेदभाव व्यापक है। यहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक, शिक्षा से लेकर रोजगार तक, परिवार से लेकर राजनीतिक स्तर तक, हर जगह लैंगिक असमानता दिखाई देती है। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर, दोनों लिंगों के बीच स्थायी भेदभाव एक बड़ी और मुख्य भूमिका निभाता है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने 153 देशों के आंकड़ों के आधार पर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट–2020 जारी की है। इस वार्षिक रिपोर्ट में भारत 91ध्100 लिंगानुपात के साथ 112वें स्थान पर रहा। वर्ष 2018 की तुलना में लैंगिक असमानता के मामले में भारत को चार रैंक का नुकसान हुआ है। इस रैंक से हम साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में लैंगिक भेदभाव की जड़ें कितनी मजबूत और गहरी हैं।

अब, लैंगिक भेदभाव के साथ, महिलाओं में कार्यक्षेत्र में सक्रिय रहते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा है। अब महिलाएँ सत्ता में अपने अधिकारों की माँग कर रही हैं, महिला सशक्तीकरण के अधिकार को छोड़ना नहीं चाहतीं। सदियों से चले आ रहे राजनीति में समान दर्जा के संवैधानिक अधिकार के बाद ही इसमें बदलाव आ सकता है। इस अध्याय में, यह ज्ञात होता है कि भारत में महिलाओं को निचले स्तर की राजनीति (स्थानीय राजनीति) में तो प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन उच्च स्तर की राजनीति (संसद) में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। इस शोध पत्र का उद्देश्य भेदभाव की राजनीति से जुड़ी कठिनाइयों को जानना है। पुरुषों को अपने राजनीतिक दलों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना चाहिए। भारत की संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में, जो विकसित देशों से बहुत पीछे है, भारत को विकसित देशों से सीखना चाहिए कि महिलाएं राजनीति में पुरुषों के साथ–साथ बिना किसी भेदभाव के भी अच्छी राजनेता हो सकती हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. जैन, मोहिनी. (2015). लिंग समानता और महिला अधिकार. राजा राममोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन.
2. यादव, सुषमा. (2018). महिला अधिकार और लिंग समानता. रावत पब्लिकेशन्स
3. श्रीवास्तव, रीता. (2020). लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण. श्रीवास्तव पब्लिकेशन्स.
4. शर्मा, नीलम. (2019). महिला अधिकार और लिंग समानता के मुद्दे. दीप और दीप पब्लिकेशन्स
5. तोमर, सुनीता. (2020). लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए नीतियाँ. राजा राममोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन
6. सन्ध्या आर्य 2000, वूमेन, जेंडर इक्वालिटी एण्ड द स्टेर। दीप एण्ड दीपः नई दिल्ली
7. गोपालन, सरला 2001, टूवर्ड्स इक्वालिटी द अनफिनिष्ड एजेन्डा रू स्टेटस ऑफ वूमेन इन इंडिया। राष्ट्रीय महिला आयोगः नई दिल्ली।